नगर निकायों की क्षमता का किया जा रहा विकास

हिन्दुस्तान 9-8-17

पटना। वरीय संवाददाता

राज्य के 29 नगर निकायों की क्षमता का विकास किया जा रहा है। डीएफआईडी के सहयोग से चलाए जा रहे संवर्धन कार्यक्रम के तहत 29 शहरों में आर्थिक वृद्धि और गरीबी उन्मूलन करने के साथ ही बेहतर नागरिक सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए भी कार्य किए जा रहे हैं।

नगर विकास एवं आवास विभाग के मंत्री प्रेम कुमार ने बताया कि छह वर्षीय इस योजना के कार्यान्वयन का लगभग दो वर्ष पूरा हो गया है। इन दो वर्षों में कई महत्वपूर्ण कार्य किए गए हैं। इनमें बिहार नगरपालिका अधिनियम 2007 में संशोधन, बिहार स्लम नीति 2011 की अधिसूचना, मोबाइल टावर के नियमों का अनुमोदन, 28 नगर निकायों में अनुबंध पर इंजीनियर और रोकड़पाल की नियुक्ति शामिल हैं। इसके अलावा नगर निकायों में कम्प्यूटर व सॉफ्टवेयर की आपूर्ति करने के साथ ही डाटा इंट्री के लिए पैनल भी बनाया गया है। पूर्णिया और कटिहार का जीआईसी मैप तैयार किया गया है। पटना नगर निगम समेत राज्य के 24 नगर निकायों में दोहरी लेखा प्रणाली को लागू करने और निकायों की संपत्ति व दायित्वों का आकलन करने का कार्य चल रहा है। 28 नगर निकायों के लिए सिटी डेवलपमेंट प्लान बनाया गया है। 17 शहरों के लिए एकीकृत ठोस कचरा प्रबंध की डीपीआर तैयार की गई है। 28 नगर निकायों के कार्यालय की मरम्मत के लिए 16 करोड़ दिए गये हैं। मधेपुरा, मुरलीगंज, वीरपुर, फारबिसगंज सुपौल नगर निकायों को लोडर, सक्शन मशीन एवं मोबाइल शौचालय आदि की सुविधा दी गयी है। संवर्धन कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य आधारभूत संरचनाओं का निर्माण, क्षमता विकास, दोहरी लेखा प्रणाली, होल्डिंग टैक्स का कंप्यूटरीकरण पूरे सूबे के लिए जीआईसी मैपिंग कराना, शहरी क्षेत्रों में गरीबी उन्मूलन, शहरी क्षेत्र में निजी निवेश को बढ़ाना आदि है।